(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री जयसिंह यादव झुंझुनू

बनाम

1. श्री राहुल सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री ईश्वर सिंह, मै0 श्री जोधपुर स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेन्ट, रोड़ नं. 1, झुन्झुनू, निवासी पुरोहितों की ढाणी, थोब, जिला जोधपुर। (विक्रेता)
2. श्री मूलसिंह राजपुरोहित पुत्र रूपसिंह, मै0 श्री जोधपुर स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेन्ट, रोड़ नं. 1, झुन्झुनू, निवासी एच. 36 रीको एरिया, झुन्झुनू। (मालिक)

प्रकरण संख्या– 05/2022

[illegible]र्थना पत्र खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

[illegible]रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.03.2022	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.04.2022 को पेश हो। अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	
.04.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से अनावेदक संख्या 2 स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसने रोड़ नम्बर 1 झुन्झुनू में मै0 जोधपुर स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेन्ट के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है जहां वह ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले दुध को खरीद कर मिठाई बनाता है। अनावेदकगण ने दुध में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1276/एक्ट/2021/1241/ दिनांक 28.10.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 2 अपनी दुकान मै0 जोधपुर स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेन्ट पर कलाकन्द मिठाई (मावा मिठाई) स्वयं तैयार करता है अनावेदक संख्या 1 अनावेदक संख्या 2 के पास विक्रेता की हैसियत से रहता है तथा अनावेदक संख्या 2 मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ कलाकन्द मिठाई (मावा मिठाई) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री मूल सिंह [illegible] श्री जोधपुर स्वीट होम एण्ड रेस्टोरेन्ट रोड़ नम्बर 1 निवासी ए[illegible] रीको एरिया, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को [illegible] प्रकरण में अ[illegible] संख्या 2 को 2000/– दो हजार रूपये अर्थदण्ड/[illegible] राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरि[illegible] बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:56 IST
Reason: SelfAttested